राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में

2024 का विधेयक संख्यांक 20

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्टस) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है । संक्षिप्त नाम।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के, भाग 1 - आंध्र प्रदेश की,— स.आ. 22

(क) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"25. पुर्जा, बोंडो पुर्जा, खोंड पुर्जा, पेरंगीपेर्जा" ;

(ख) प्रविष्टि 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, खुट्टा सवार"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या उनमें के यूथ जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है ।"।

2. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध निम्नानुसार है:—

> "342. अनुसूचित जनजातियां.–(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।
>
> (2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"।

3. संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की प्रथम सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा क्रमश: विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1950 के दौरान अधिसूचित की गई थी । आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) द्वारा अंतिम बार उपांतरित की गई थी ।

4. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर और भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात् संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 को संशोधित करके आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है ।

5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के, भाग-1-आंध्र प्रदेश संविधान आदेश 22 के संशोधन के लिए प्रस्तावित है,—

(क) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"25. पुर्जा, बोंडो पुर्जा, खोंड पुर्जा, पेरंगीपेर्जा" ;

(ख) प्रविष्टि 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, खुट्टा सवार" ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
2 फरवरी, 2024

अर्जुन मुंडा

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करके आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए है । आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बनाई गई स्कीम के अधीन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले फायदों के मद्दे कुछ अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय हो सकते है ।

2. इस मद्दे उपगत किए जाने वाली संभावित अतिरिक्त व्यय को इस प्रक्रम पर सरकार के अनुमोदित बजटीय व्यय के भीतर किया जाएगा ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं. आ. 22) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

अनुसूची

भाग 1 - आंध्र प्रदेश

*   *   *   *   *   *

25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा

*   *   *   *   *   *

28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार

*   *   *   *   *   *

RS-P&PS-GB(H)-012-03.02.2024